

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 562]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 26, शक 1935

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्र. एफ 01-38-2013-बीस-1.—मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा, शिक्षक-शिक्षा एवं प्रशिक्षण अकादमिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2011 में यह उपबंध है कि सहायक प्राध्यापक, वरिष्ठ व्याख्याता एवं व्याख्याता के पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे. उपरोक्त नियम 11 के उपनियम (8) में उपबंधित है कि निःशक्त व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे बशर्ते कि कार्य करने में समर्थ पाए जाएं जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया है;

2. और, यतः, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 36 के परन्तुक के साथ पठित धारा 32 (क) और 33 के उपबंधों के अनुसरण में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-8-3-2004-आ.प्र.-1, दिनांक 2 अप्रैल, 2004 के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के पद चिह्नंकित किए जाने थे. तदनुसार, निःशक्त व्यक्तियों हेतु पद चिह्नंकित करने के लिए प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी.

3. और, यतः, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 16-70-2004-डीडी-तीन, दिनांक 18 जनवरी, 2007 के उपबंधों के आलोक में एवं पद के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए समिति ने दिनांक 22 जनवरी, 2013 को यह सिफारिश की कि श्रवणबाधित अथवा विकलांग व्यक्तियों के लिए विहित 2 प्रतिशत आरक्षण के पद के प्रावधान को शिथिल किया जाए और यह भी स्वीकृति प्रदान की कि आरक्षण की इस परतिशतता को अस्थिबाधित व्यक्तियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता में सम्मिलित किया जाए.

4. अतएव, राज्य सरकार ने यह विनिश्चित किया है कि कॉलम (4) में यथा दर्शित पदों में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में से दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए 2 प्रतिशत एवं अस्थिबाधित व्यक्तियों के लिए 4 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे. "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)," दिनांक 22 मई 2013 में मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रकाशित अधिसूचना क्र. एफ 2-13-2011-छब्बीस-1, की अनुसूची-एक के क्रमांक (3) में उल्लेखित स्कूल शिक्षा विभाग की अनुसूची-दो में दिए गए विवरण अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे

जाने वाले पदों की संख्या नीचे दी गई सारणी के कॉलम (5) तथा (6) में दर्शाए गए अनुसार आरक्षित रहेगी :—

सारणी

अनु- क्रमांक	पद का नाम	वेतनमान+ग्रेड वेतन	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाली पदों की कुल संख्या	निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या	
				दृष्टिबाधित	अस्थिबाधित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सहायक प्राध्यापक	15600—39100+5400	125	02	05
2	वरिष्ठ व्याख्याता	9300—34800+4200	131	03	05
3	व्याख्याता	9300—34800+3600	407	08	16

5. अस्थिबाधित तथा दृष्टिबाधित व्यक्ति की शिक्षण/प्रशिक्षण कार्य की विषयवार योग्यता को ध्यान में रखते हुए व्याख्याता, वरिष्ठ व्याख्याता एवं सहायक प्राध्यापक के पदों पर उपरोक्त नियमों के अधीन सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों को, उनके प्रवर्गों को विचार में लेते हुए, निम्नानुसार विषयवार वर्गीकृत किया जाता है :—

वर्गीकरण

अनु- क्रमांक	विषय	पद का नाम	अस्थि विकलांगता		दृष्टिबाधित (विकलांग)	
			शारीरिक अपेक्षाएं	निःशक्तता की श्रेणी	शारीरिक अपेक्षाएं	निःशक्तता की श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षा, संगीत.	व्याख्याता/वरिष्ठ व्याख्याता/सहायक प्राध्यापक.	एस. आर.डब्ल्यू. एच.सी. एसई.	ओए. ओएल. बीएल. एसई.	एस. एसटी. एच. सी.	बी. एलवी.
2	रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान पर्यावरण विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, कृषि, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान.	व्याख्याता/वरिष्ठ व्याख्याता/सहायक प्राध्यापक.	एस. आर.डब्ल्यू. एच.,सी. एसई.	ओए. ओएल. बीएल. एसई.	एस. एसटी. बीएन. एच.,सी.	एलवी.
3	गणित वाणिज्य	व्याख्याता/वरिष्ठ व्याख्याता/सहायक प्राध्यापक.	एस. आर.डब्ल्यू. एच.सी. एसई.	ओए. ओएल. बीएल. एसई.	एस. एसटी. बीएन. एच.,सी.	एलवी.
4	कम्प्यूटर साईंस तथा अनुप्रयोग, ललितकला, सूचना प्रौद्योगिकी.	व्याख्याता/वरिष्ठ व्याख्याता/सहायक प्राध्यापक.	एस. आर.डब्ल्यू. एच.सी. एसई.	ओए. ओएल. बीएल.	— — —	— — —

6. इस अधिसूचना में उपयोग में लाए गए संक्षेपाक्षरों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

अनुक्रमांक (1)	संक्षेपाक्षर (2)	ब्यौरे (3)
1	एस	बैठने में
2	एसटी	खड़े होने में
3	बीएन	झुकने में
4	आरडब्ल्यू	पढ़ने और लिखने में
5	सी	संवाद करने में
6	एच	सुनने में
7	ओए	एक भुजा
8	ओएल	एक टांग
9	बीएल	दोनों टांगे
10	बी	नेत्रहीन
11	एलव्ही	कमजोर दृष्टि
12	एसई	देखने में

7. निःशक्त वर्ग से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले व्याख्याता, वरिष्ठ व्याख्याता एवं सहायक प्राध्यापकों के पदों की संख्या, आयुक्त-सह-संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश द्वारा चिन्हांकित तथा आरक्षित की जाएगी. निःशक्त व्यक्तियों हेतु पदों के आरक्षण के प्रयोजन के लिए सम्पूर्ण राज्य को एक इकाई समझा जाएगा.

8. कम्प्यूटर साईंस एवं अनुप्रयोग, ललित कला और सूचना प्रौद्योगिकी विषय के व्याख्याता, वरिष्ठ व्याख्याता एवं सहायक प्राध्यापक के पद केवल अस्थिबाधित व्यक्तियों के लिए उनकी शिक्षण प्रशिक्षण देने के कार्य की योग्यता को विचार में लेते हुए आरक्षित किए गए हैं.

9. स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषय के व्याख्याता (प्रथम श्रेणी के उत्तीर्ण एम.पी.एड. डिग्री धारक) के पद के लिए निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण के विहित प्रतिशत में, निःशक्त व्यक्तियों के शिक्षण प्रशिक्षण देने के कार्य की योग्यता को विचार में लेते हुए छूट दी गई है. पदों का ऐसा आरक्षण अन्य विषयों के पदों से उचित अनुपात में बदला गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चौकसे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्र. एफ-01-38-2013-बीस-1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-01-38-2013-बीस-1, दिनांक 17 दिसम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चौकसे, उपसचिव.

Bhopal, the 17th December 2013

No. F-01-38-2013-XX-1.—WHEREAS the Madhya Pradesh School Education, Teacher-Education and Training Academic (Gazetted) Service Recruitment and Conditions of Service Rules, 2011 provides that the posts of Assistant Professor, Senior Lecturer and Lecturer shall be filled by direct recruitment. sub-rule (8) of rule 11 of the aforesaid rules provides that the posts shall be reserved for disabled persons provided they are found capable of doing the work for which they are appointed;

2. AND, WHEREAS in pursuance of the provisions of Section 32 of the Persons with Disabilities (Equal opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (No. 1 of 1996), the General Administration Department *vide* its memorandum No. F-8-3-2004-आ.प्र. 1, dated 2nd April 2004 the post for disabled person was to be identified. Accordingly a committee in the Chairmanship of the Principal Secretary General Administration Department was constituted to identify the posts for disabled persons.

3. AND WHEREAS the Committee, in the light of the provisions of the notification No. 16-70/2004 DD-III, dated 18th January 2007 of the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India New Delhi, and in view of the nature of work of the post, has recommended on 22nd January 2013 that the provision of prescribed 2% post of reservation for Hearing Handicapped be relaxed and has also granted sanction that this percentage of reservation be included in the percentage of reservation of Orthopedically Handicapped person.

4. THEREFORE, the State Government has hereby decided that the posts to be filled by direct recruitment shall be reserved 2% for Visually Handicapped and 4% for Orthopedically Handicapped. The Number of posts, to be filled by direct recruitment under disabled category, as shown in column (5) and (6) of the table below shall be reserved :—

TABLE

S.No.	Name of Post	Pay Scale+Grade pay	Total number of post to be filled by Direct recruitment	Number of reserved post for disabled person	
				visually Handicapped	Orthopedically Handicapped
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Assistant Professor	15600—39100+5400	125	02	05
2	Senior Lecturer	9300—34800+4200	131	03	05
3	Lecturer	9300—34800+3600	407	08	16

5. In view of the subject wise teaching/Training's work ability of the Orthopedically Handicapped and Visually Handicapped, the persons to be appointed by direct recruitment on the post of Lecturer, Senior Lecturer and Assistant Professor under the aforesaid rules are subjectwise classified as under, taking into consideration their categories of Disabled suitable for the post.

CLASSIFICATION

S. No.	Subject	Name of post	Orthopedically Handicapped		Visually Handicapped	
			Physically Requirement	Category of Disabilities	Physically Requirement	Category of Disabilities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Hindi, English, History, Political Science, Economics, Philosophy, Sociology, Education, Music.	Lecturer/ Senior Lecturer/ Assistant Professor.	S. R.W. H.C. SE	OA. OL. BL	S.ST. H. C.	B. LV.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Chemistry, Physics, Environment Science, Biology, Geography, Agriculture, Psychology, Home Science.	Lecturer/ Senior Lecturer/ Assistant Professor.	S. RW. H. C. SE	OA. OL. BL	S.ST. BN. H.C.	LV
3	Mathematics Commerce	Lecturer/ Senior Lecturer/ Assistant Professor.	S.RW. H.C. SE	OA. OL. BL	S.ST. BN. H. C.	LV
4	Computer Science and Application, Fine Arts, Information Technology.	Lecturer/ Senior Lecturer/ Assistant Professor.	S.RW. H. C. SE	OA. OL. BL	—	—

6. The details of abbreviation used in this notification are as under :—

S.No. (1)	Abbreviation (2)	Details (3)
1	S	Sitting
2	ST	Standing
3	BN	Bending
4	RW	Reading and Writing
5	C	Communication
6	H	Hearing
7	OA	One Arm
8	OL	One Leg
9	BL	Both Legs
10	B	Blind
11	LV	Low Vision
12	SE	Seeing

7. The number of posts of Lecturer, Senior Lecturer and Assistant Professor to be filled by direct recruitment from the disabled category shall be identified and reserved by the Commissioner-cum-Director, Rajya Siksha Kendra, Madhya Pradesh. The whole State shall be deemed to be a unit for the purpose of reservation of posts for disabled persons.

8. The posts of Lecturer, Senior Lecturer and Assistant Professor of the Subject of Computer Science and Application, Fine Arts and Information Technology have been reserved only for Orthopedically Handicapped taking into consideration of their teaching Training's work ability.

9. The prescribed percentage of reservation for the post of Lecturers (Possessing degree of M.P.Ed. passed in First Division) of Health and Physical Education subject has been relaxed taking in to consideration of teaching Training's work ability of disabled person. Such reservation of posts has been substitute in the proper ratio for the post of other subjects.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. CHAUKSEY, Dy. Secy.